RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 190
दि. 14.04.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तीस्ता सीतलवाड़ के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, तीन जजों की बेंच करेगी अंतिम फैसला; 2002 गुजरात दंगों से जुड़े केस में नया मोड़

नई दिल्ली। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े चर्चित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को जारी करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अंतिम निर्णय अब तीन जजों की बड़ी बेंच करेगी। अदालत के इस कदम को मामले की गंभीरता और इसके व्यापक कानूनी प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि सीतलवाड़ को जमानत भी तीन जजों की बेंच द्वारा दी गई थी, इसलिए पासपोर्ट से जुड़ी शर्तों और राहत पर निर्णय भी उसी बेंच के स्तर पर होना उचित होगा। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसे उपयुक्त बेंच को सौंपा जा सके।

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि 2002 के गुजरात दंगों के बाद दर्ज हुए मामलों से जुड़ी है, जिनमें आरोप है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज और सबूत तैयार कर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास किया। इसी सिलसिले में तीस्ता सीतलवाड़ का नाम सामने आया और उन्हें जून 2022 में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान की थी। जमानत देते समय अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और लंबी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी थी। हालांकि जमानत की शर्तों में यह भी शामिल था कि उनका पासपोर्ट अदालत में जमा रहेगा और वे बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगी।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि

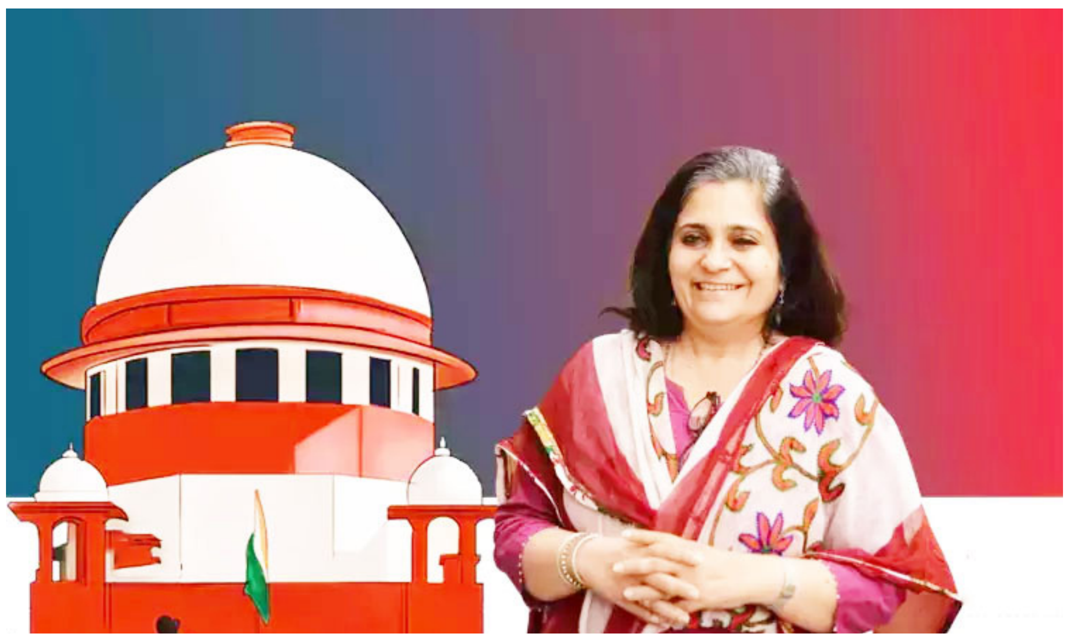

जमानत की शर्तों के तहत सीतलवाड़ का पासपोर्ट सेशंस कोर्ट के पास जमा है और उसे वापस किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनके मौलिक और वैधानिक अधिकारों का संतुलन बना रहे। हालांकि अदालत ने इस पर तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला विस्तृत विचार की मांग करता है।

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में सीतलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और इसे कानूनी रूप से असंगत और विरोधाभासी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उचित अवसर मिलना चाहिए और केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।

यह पूरा विवाद जाकिया जाफरी मामले से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जाकिया जाफरी, जो पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, ने 2002 के दंगों में कथित बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण से जुड़े नए मुकदमे और जांच प्रक्रियाएं शुरू हुईं।

इसी पृष्ठभूमि में यह भी सामने आया कि सीतलवाड़ के साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आर. बी. श्रीकुमार पर भी जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। इन सभी पर आरोप था कि उन्होंने कथित रूप से दस्तावेज तैयार कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में यह भी स्पष्ट किया था कि सीतलवाड़ को किसी भी गवाह को प्रभावित करने से दूर रहना होगा और इस शर्त का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि इस तरह की कोई गतिविधि सामने आती है तो गुजरात पुलिस सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

वर्तमान सुनवाई में अदालत ने संकेत दिया है कि पासपोर्ट जैसे मामलों में अंतिम निर्णय उन शर्तों के आधार पर लिया जाएगा जिनके तहत जमानत प्रदान की गई थी। यही कारण है कि अब यह मामला तीन जजों की बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है, जो यह तय करेगी कि पासपोर्ट वापस किया जाए या मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल एक व्यक्ति के पासपोर्ट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जमानत की शर्तों, अंतरराष्ट्रीय यात्रा अधिकारों और न्यायिक निगरानी के बीच संतुलन स्थापित करने से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए इस मामले का निर्णय आने वाले समय में समान प्रकृति के अन्य मामलों के लिए भी एक नजीर बन सकता है।

राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर इस मामले को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में पहले ही कई दौर की जांच और न्यायिक प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, और हर नया फैसला इस लंबे चले आ रहे विवाद में नया अध्याय जोड़ देता है। अब सभी की निगाहें तीन जजों की बेंच पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि सीतलवाड़ को पासपोर्ट वापस मिलेगा या मौजूदा शर्तें यथावत रहेंगी। यह फैसला न केवल उनके व्यक्तिगत भविष्य के लिए, बल्कि इस पूरे कानूनी प्रकरण की दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उत्तर भारत में पहली बार बनेगा विमान इंजन टेस्टिंग केंद्र, उन्नत विमानन तकनीक की ओर बड़ा कदम

नई दिल्ली। भारत अब विमानन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाने जा रहा है। देश में पहली बार उत्तर भारत में अत्याधुनिक विमान इंजन परीक्षण (टेस्टिंग) केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो न केवल भारतीय एयरोस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की तकनीकी क्षमता को मजबूती देगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना Technology Development Board (TDB) और गुरुग्राम स्थित केसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिसमें ब्रिटेन की कंपनी ARC Aerosystems Ltd भी भागीदार है।

यह पहल भारत-यूके इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी सहयोग कार्यक्रम के तहत की जा रही है, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। इस परियोजना के माध्यम से भारत में अत्याधुनिक हाइब्रिड प्रोपल्शन तकनीक विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे, जो आने वाले समय में विमानन के स्वरूप को पूरी तरह बदल सकती है।

इस परियोजना का केंद्र बिंदु 'बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक-ऑफ' यानी BE-JETO तकनीक है। यह एक ऐसी उन्नत प्रणाली है, जो पारंपरिक विमानन तकनीक और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के संयोजन से तैयार की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे विमान और ड्रोन विकसित करना है, जो कम दूरी में, सीमित रनवे पर या लगभग सीधी (वर्टिकल) दिशा में उड़ान भर सकें। यह तकनीक खासतौर पर उन इलाकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जहां पारंपरिक हवाई अड्डों का निर्माण संभव नहीं है या जहां भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं।

इस परियोजना के तहत उत्तर भारत में एक अत्याधुनिक टेस्ट-बेंच सुविधा स्थापित की जाएगी, जहां रोटरक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण, मूल्यांकन और अनुकूलन किया जाएगा। यह केंद्र केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और अन्य एयरोस्पेस डेवलपर्स के लिए भी खुला रहेगा। इससे भारत में इनोवेशन और रिसर्च को नई गति मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की टेस्टिंग सुविधा भारत में एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। अभी तक भारत को कई महत्वपूर्ण परीक्षणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ जाते थे। लेकिन इस नई सुविधा के स्थापित होने से घरेलू स्तर पर ही अत्याधुनिक परीक्षण संभव होंगे, जिससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा।

इस तकनीक के उपयोग की संभावनाएं बेहद व्यापक हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में। इसके अलावा आपदा राहत कार्यों में भी यह तकनीक गेम-चेंजर साबित हो सकती है, जहां समय पर मदद पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेडिकल इवैक्यूएशन, यानी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए भी यह तकनीक बेहद उपयोगी होगी।

ड्रोन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन के तेजी से बढ़ते नेटवर्क में, ऐसे ड्रोन जो कम जगह में उड़ान भर सकें और उतर सकें, भविष्य की जरूरत बनते जा रहे हैं। इसके अलावा निगरानी और सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी, जहां सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में तेज और सटीक निगरानी की आवश्यकता होती है।

इस परियोजना के माध्यम से भारत और ब्रिटेन के बीच तकनीकी सहयोग भी और मजबूत होगा। Department of Science and Technology के अंतर्गत काम कर रहा TDB इस तरह की परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, जिससे देश में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इस पहल से न केवल नई तकनीक विकसित होगी, बल्कि कुशल मानव संसाधन का विकास भी होगा, जो भविष्य के एयरोस्पेस उद्योग की रीढ़ बनेगा।

कुल मिलाकर, उत्तर भारत में बनने जा रहा यह विमान इंजन टेस्टिंग केंद्र केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में यह केंद्र देश को वैश्विक एयरोस्पेस मानचित्र पर एक मजबूत और विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

कर्ज, धमकी और मानसिक दबाव छात्र की मौत ने खड़े किए गंभीर सवाल

तिरुवनंतपुरम। केरल के कन्नूर जिले में एक 22 वर्षीय डेंटल छात्र की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। अंजराकंडी स्थित डेंटल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र नितिन राज की मौत अब केवल एक हादसा नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके पीछे ऑनलाइन लोन एप्स के जरिए कथित धमकी, उत्पीड़न और मानसिक दबाव का गंभीर एंगल सामने आया है। इस मामले ने न केवल जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, बल्कि देशभर में तेजी से फैल रहे डिजिटल लोन नेटवर्क की खतरनाक सच्चाई को भी उजागर कर दिया है।

पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, नितिन राज ने कुछ समय पहले एक ऑनलाइन लोन एप के माध्यम से लगभग 14 हजार रुपये का कर्ज लिया था। यह रकम भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन समय पर भुगतान न कर पाने की स्थिति ने उनके जीवन को संकट में डाल दिया। आरोप है कि लोन देने वाले एप के ऑपरेटर्स ने वसूली के लिए आक्रामक और अवैध तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। लगातार कॉल, मैसेज और धमकियों के जरिए छात्र पर मानसिक दबाव बनाया गया।

मामला तब और अधिक गंभीर हो गया जब इन कथित आरोपियों ने कॉलेज की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर तक को निशाना बना लिया। एफआईआर के अनुसार, प्रोफेसर को व्हाट्सएप और एमएमएस के जरिए धमकी भरे संदेश भेजे गए। इन संदेशों में न केवल डराने-धमकाने की कोशिश की गई, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पैसे वसूलने का भी प्रयास किया गया। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि वसूली के लिए आरोपियों ने सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा को हथियार बनाने की कोशिश की।

घटना के दिन, 10 अप्रैल को नितिन राज कॉलेज परिसर के मेडिकल कॉलेज ब्लॉक के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह इमारत से गिरे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह स्पष्ट नहीं है कि यह हादसा था, आत्महत्या या किसी अन्य परिस्थिति का परिणाम—इसी की जांच अब विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है।

कन्नूर साइबर पुलिस ने अज्ञात ऑनलाइन लोन एप ऑपरेटर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसियां अब उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहचान करने में जुटी हैं, जिनके जरिए यह कर्ज दिया गया था। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये एप वैध रूप से संचालित हो रहे थे या फिर अवैध नेटवर्क का हिस्सा थे।

इस मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन लोन एप्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां छोटे कर्ज के बदले लोगों को भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। अक्सर ये एप्स उपयोगकर्ताओं के फोन से निजी डेटा, कांटैक्ट लिस्ट और फोटो तक एक्सेस कर लेते हैं और बाद में उसी जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है।

नितिन राज की मौत ने यह भी दिखा दिया है कि आर्थिक दबाव के साथ जब सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न जुड़ जाता है, तो इसका असर बेहद घातक हो सकता है। एक युवा छात्र, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा था, वह इस तरह के दबाव में आकर अपनी जिंदगी खो बैठा—यह समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक चेतावनी है।

अब सबकी निगाहें SIT की जांच पर टिकी हैं, जो यह स्पष्ट करेगी कि इस मौत के पीछे असल वजह क्या थी और किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही यह मामला सरकार और नियामक संस्थाओं के लिए भी एक संकेत है कि ऑनलाइन लोन एप्स के संचालन पर कड़ी निगरानी और सख्त नियमों की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई और युवा इस तरह के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी न गंवाए।

कांग्रेस पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ी: राहुल गांधी असम सरकार की याचिका पर बढ़ा सियासी तनाव

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर जारी कानूनी और राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी प्रकार के दबाव या राजनीतिक डर के आगे पीछे नहीं हटेगी। उनके इस बयान के बाद यह मामला एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है।

यह पूरा विवाद उस समय और अधिक गहरा गया जब असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। इस कदम को राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला अब हाईकोर्ट से होते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पहुंच गया है। इस प्रकरण की शुरुआत बीते दिनों उस समय हुई जब हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी पर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कथित रूप से कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं, जिन्हें चुनावी हलफनामे में सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। आरोपों के बाद असम पुलिस ने इस मामले में जांच प्रक्रिया शुरू की और पूछताछ के लिए पवन खेड़ा से संपर्क करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम जब दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची, तब वे वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी और मामला अदालत तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम में 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत प्रदान की थी। यह जमानत इस आधार पर दी गई थी कि उन्हें असम पुलिस के समक्ष पेश होने और पूछताछ में सहयोग करने के लिए सुरक्षा और समय दिया जाए। हालांकि, अब असम सरकार द्वारा इस राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद मामला और जटिल हो गया है।

कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया है, जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि यह कानून के अनुसार की जा रही जांच है और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है।

राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है और किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार है। पार्टी का कहना है कि यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध की सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है।

वहीं, असम सरकार का पक्ष है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है। सरकार का कहना है कि अदालत से जो भी निर्देश मिलेंगे, उनका पालन किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत और अंतरराज्यीय जांच के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें राज्यों के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों का संतुलन बनाना होता है। इसलिए यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक अहम कानूनी बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का रुख इस विवाद की दिशा तय करेगा।

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम तेज, पीएम मोदी ने विपक्ष से मांगा समर्थन

नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक बार फिर ऐतिहासिक मोड़ आने की आहट है, जहां महिलाओं की भागीदारी को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। केंद्र सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद के विशेष सत्र में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करने की दिशा में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष के सामने महिलाओं का पक्ष मजबूती से रखा है।

राजनीतिक हलकों में यह स्पष्ट है कि इस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय किसे मिलेगा, इसको लेकर सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार की नीयत और समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक रूप से 'महिला शक्ति' को केंद्र में रखते हुए एक भावनात्मक और सामाजिक अपील के जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश की है।

नई दिल्ली के Vigyan Bhavan में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' इस रणनीति का अहम हिस्सा बना। इस कार्यक्रम में देशभर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया। मंच पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर जैसी प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष Meira Kumar का उल्लेख कर यह संकेत देने की कोशिश भी की कि यह मुद्दा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने का है।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए एक अनोखी अपील की। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अपने-अपने सांसदों से मिलें, उन्हें अपनी अपेक्षाएं बताएं और संसद के विशेष सत्र के लिए उन्हें आशीर्वाद देकर विदा करें। उनका यह संदेश राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक दबाव बनाने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि माताओं-बहनों का आशीर्वाद लेकर संसद जाएंगे, तो वे महिलाओं के हित में निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस विधेयक को केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। 'नारी शक्ति वंदन' को एक भावनात्मक और राष्ट्रीय अभियान का रूप देकर सरकार ने इसे जनसमर्थन से जोड़ने की कोशिश की है, ताकि विपक्ष के लिए इसका विरोध करना आसान न रहे।

दूसरी ओर, विपक्ष का तर्क है कि महिलाओं को आरक्षण देने का विचार नया नहीं है और इस दिशा में पहले भी प्रयास किए गए हैं। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए भुना रही है और इसे लागू करने में देरी भी उसी का हिस्सा रही है।

संपादकीय

फिर भी सदा गूंजते रहेंगे हृदयस्पर्शी गीत

हृदयाघात के कारण जब आशा भोसले ने इस संसार को अलविदा कहा, तब यह केवल एक महान गायिका का जाना नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक जीवंत, चंचल और रंगीन अध्याय का विराम था। फिर भी, यह विराम पूर्ण विराम नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी शैली और उनके गीत आज भी उतने ही ताजगी भरे हैं जितने अपने समय में थे। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले ने अपने जीवन के लगभग हर वर्ष को संगीत को समर्पित किया। नौ दशक तक निरंतर गाते रहना केवल साधना नहीं, बल्कि एक तपस्या है—और आशा भोसले इस तपस्या की साक्षात मिसाल थीं।

उनकी गायकी में एक अद्भुत विविधता थी, जो उन्हें अपने समकालीनों से अलग बनाती थी। वे केवल एक शैली की गायिका नहीं थीं, बल्कि वे हर शैली में ढल जाने की अद्वितीय क्षमता रखती थीं। चाहे शास्त्रीय संगीत की गंभीरता हो, ग़ज़लों की नज़ाकत, कव्वालियों की ऊर्जा, पॉप और जैज़ की आधुनिकता या फिल्मी गीतों की चुलबुली मिठास—हर रंग में आशा की आवाज नई जान फूंक देती थी। उनके गीतों में जीवन का उल्लास, प्रेम की कोमलता, विरह की गहराई और शरारत की चमक एक साथ मिलती थी। यही कारण है कि उनकी आवाज हर पीढ़ी को अपनी लगती रही।

आशा भोसले का व्यक्तित्व भी उनकी गायकी की तरह ही जीवंत और बेबाक था। वे मंच पर जितनी सहज और आत्मविश्वासी थीं, निजी जीवन में भी उतनी ही स्पष्टवादी और जिंदादिल थीं। उनकी हाजिरजवाबी और खुलकर जीने का अंदाज उन्हें भीड़ से अलग पहचान देता था। एक संगीत साधना से जुड़े परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही संगीत का संस्कार मिला। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक थे, जिनकी विरासत ने आशा के भीतर सुरों के प्रति गहरा लगाव पैदा किया। लेकिन इस संगीत यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने घर से ही आई। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उस समय तक संगीत की दुनिया में एक विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुकी थीं। उनके प्रभाव और वर्चस्व के बीच अपनी अलग पहचान बनाना किसी भी कलाकार के लिए कठिन था। कई प्रतिभाएं इस दबाव में दबकर रह गईं, लेकिन आशा भोसले ने इस चुनौती को अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अवसर में बदल दिया। उन्होंने यह समझा कि उन्हें अपनी अलग राह बनानी होगी—एक ऐसी राह जिसमें प्रयोग हो, विविधता हो और जोखिम उठाने का साहस हो। उनके करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआती दौर में उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 'चुनरिया' से शुरू हुई उनकी यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ी और 'बूट पॉलिश' तथा 'परिणीता' जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलानी शुरू की। इसके बाद संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ उनकी जोड़ी ने इतिहास रच दिया। ओ.पी. नैयर के संगीत और आशा की आवाज का संगम इतना प्रभावशाली था कि उसने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनके गीतों में जो ताजगी और लयात्मकता थी, उसने उन्हें दर्शकों के दिलों में स्थायी स्थान दिलाया। आशा भोसले की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने समय के साथ खुद को बदलने में कभी संकोच नहीं किया। जहां एक ओर वे पारंपरिक गीतों में अपनी गहरी पकड़ दिखाती थीं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक संगीत के साथ भी पूरी तरह तालमेल बिठा लेती थीं। यही कारण है कि वे हर युग में प्रासंगिक बनी रहीं। उनकी आवाज में एक ऐसी युवा ऊर्जा थी, जो उम्र के साथ कम होने के बजाय और अधिक निखरती गई। उनकी निजी जिंदगी भी संघर्षों से अछूती नहीं रही। उनके व्यक्तिगत निर्णयों ने कई बार उन्हें कठिन परिस्थितियों में डाला, लेकिन उन्होंने हर बार अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से उन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने यह साबित किया कि एक सच्चा कलाकार केवल अपने कला के लिए नहीं जीता, बल्कि वह अपने जीवन के हर संघर्ष को भी एक नई सीख में बदल देता है। आशा भोसले के गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि वे भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी थे। उनके गीतों ने लोगों के जीवन के हर पल—खुशी, दुख, प्रेम, विरह—को एक स्वर दिया। यही कारण है कि उनके गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए लगते हैं।

उनके समकालीन महान गायकों—मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार—के साथ उनका नाम लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे किस स्तर की कलाकार थीं। इन सभी महान हस्तियों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग को आकार दिया। आज जब ये सभी दिग्गज हमारे बीच नहीं हैं, तो यह एक पूरे युग के अंत का आभास कराता है।

पौराणिक पर्व पर उत्साह-उमंग के अनेक त्योहार

> बैसाखी का त्योहार सामाजिक समरसता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। 2016 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया।

बैसाखी, वैशाख माह का प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है। यह वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इसलिए बैसाखी को मेष संक्रान्ति व विषुवत संक्रान्ति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बैसाख (वैशाख) के प्रथम दिन अनेक क्षेत्रों में 'सोलर नववर्ष' के त्योहार जैसे जुड़ शीतल, पोहेला बोशाख, बोहाग बिहू, विशु, व पुथण्डु भी मनाया जाता है। मान्यता अनुसार 13 अप्रैल, 1699 को दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 'सिख धर्म' की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा 'बुद्ध पूर्णिमा' को त्योहार के रूप में मनाया जाता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह सौर कैलेंडर का प्रथम दिन है व हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 3000 वर्ष पूर्व राजा भागीरथ मुनि के रूप में कई वर्ष कठोर तपस्या के बाद गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसे गंगा नदी अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फलतः गंगा स्नान का विशेष महत्व है।

इस त्योहार का कृषक बिरादरी से घनिष्ठ संबंध है। इस दिन तक रबी की फसल-गेहूं, जौ, चना इत्यादि कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बैसाखी के दिन को शुभ दिन मान कर गेहूं की कटाई करना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किसान प्राकृतिक आपदाओं से बचकर फसल पकने की खुशी मनाते हैं। इस दिन परंपरा के रूप में फसल की कटाई की जाती है। पंजाबी इस दिन उत्सव मनाते हैं।

सिख धर्म में बैसाखी पवित्र व सर्वोत्तम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल, 1699 को आनंदपुर साहिब में सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारों को दीक्षा देकर सिख धर्म की स्थापना की थी। ये पंज प्यारे भाई दया सिंह (खत्री-लाहौर), भाई धर्म सिंह (जाट हस्तिनापुर यूपी), भाई हिम्मत सिंह (झीउर-जगनाथपुरी-ओडिशा), भाई मोहकम सिंह (दर्जी-द्वारका-गुजरात) व भाई साहब सिंह (नाई-बीदर-कर्नाटक) विभिन्न क्षेत्रों व जातियों से सम्बंधित थे। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने जब हिन्दू धर्म रक्षा हेतु पांच शीष मांगे तो यह पांचों बहादुर अनुयायी बिना विलम्ब तैयार हो गए। गुरुजी ने इनको अमृतपान कराया और सिंह की उपाधि देकर, सिख की एक विशेष पहचान निश्चित करते हुए पांच 'क'—केस, कंघा, कड़ा, कछेरा व कृपाण धारण करने का संदेश दिया। तब से बैसाखी पवित्र त्योहार रूप में मनाया जाने लगा।

बैसाखी को भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में 'बिखोती' का महत्व है। उत्तराखंड के निवासी हरिद्वार व ऋषिकेश में गंगा नदी में स्नान को पवित्र मानते हैं। असम में 'बोहाग', 'बिहू', 'रंगली बिहू', 'असमिया नववर्ष' व 'बोहाग कैलेंडर' के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में 14 अप्रैल को 'पाहेला बेसाख' के रूप में मनाया जाता है तथा त्रिपुरा और बंगाल में शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। तमिलनाडु में पुत्थांडु, पुथुवरूषम-तमिल नववर्ष या तमिल कैलेंडर के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। बिहार और मिथिला क्षेत्र में इसे जुर शीतल के रूप में मनाया जाता है। भारत के पड़ोसी मुल्कों-नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में यह त्योहार मनाया जाता है।

बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल, 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20,000 व्यक्ति मौजूद थे। भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रिचार्ड डायर ने सैनिक टुकड़ी के साथ घटना स्थल पर पहुंच बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप 10 मिनट में 1650 राउंड की फायरिंग में अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर सुमित के अनुसार लगभग 1800 भारतीयों की जान चली गई थी। उधम सिंह वहां मौजूद थे और उन्होंने कसम उठाई कि वह नरसंहार का बदला लेकर रहेगा। यद्यपि वह ब्रिगेडियर जनरल रिचार्ड डायर को मौत के घाट उतारना चाहता था परंतु उसकी मृत्यु 23 जुलाई, 1927 को हो चुकी थी। 13 मार्च, 1940 को कैक्सटन हॉल, लंदन में जब माइकल ओ'डॉयर एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे उधम सिंह ने उसको मौत के घाट उतार कर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया। 31 जुलाई, 1940 को उधम सिंह को माइकल ओ'डॉयर की हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई।

बैसाखी का त्योहार सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक समरसता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, बलिदान और समर्पण को बढ़ावा देता है। इसीलिए सन् 2016 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने मंगल शोभा यात्रा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित करके इसके महत्व को और बढ़ाया है।

प्रेरणा

आत्मबोध और ईमानदारी की गूंज

मानव सभ्यता के इतिहास में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह आत्मा के परिष्कार और चरित्र निर्माण का सबसे सशक्त साधन भी रही है। प्राचीन दार्शनिक परंपराओं में यह विश्वास गहराई से स्थापित था कि सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो केवल बाहरी सूचना देती है, बल्कि वह है जो मनुष्य को भीतर से जागरूक, संतुलित और नैतिक बनाती है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा छठी शताब्दी के महान विचारक कन्फ्यूशियस और उनके पुत्र कांग ली से जुड़ी हुई मानी जाती है, जो आत्मबोध, विनम्रता और ईमानदारी के गहरे अर्थ को उजागर करती है।

कथा के अनुसार, कन्फ्यूशियस ने अपने पुत्र कांग ली को एक प्रसिद्ध चिंतक चेन जिकिन के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। यह निर्णय केवल औपचारिक शिक्षा का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे यह विचार था कि युवा मन को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की गहराई समझने का अवसर मिलना चाहिए। कहा जाता है कि चेन जिकिन और कन्फ्यूशियस के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद होते हुए नहीं देखा गया, फिर भी दोनों एक-दूसरे के विचारों और व्यक्तित्व का अत्यंत सम्मान करते थे। यह स्वयं इस बात का संकेत था कि सच्चा ज्ञान शब्दों से अधिक मौन और व्यवहार में व्यक्त होता है।

जब कांग ली चेन जिकिन के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो साधारण नहीं था, बल्कि गहरे अर्थों से भरा हुआ था। उन्होंने कांग ली से पूछा कि क्या उनके पिता कन्फ्यूशियस ने उन्हें ऐसा कुछ सिखाया है, जो सामान्य ज्ञान से परे हो। कांग ली ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उनके पिता ने उन्हें कोई गूढ़ रहस्य नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने जीवन की छोटी-छोटी बातों में छिपे बड़े अर्थों की ओर उनका ध्यान अवश्य आकर्षित किया है।

कांग ली ने बताया कि एक बार जब वे अकेले थे, तब उनके पिता ने उनसे पूछा था कि क्या वे कविता पढ़ते हैं। जब उन्होंने उत्तर दिया कि वे कविता नहीं पढ़ते, तो कन्फ्यूशियस ने उन्हें समझाया कि कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाने का माध्यम है। उनके अनुसार कविता मनुष्य के भीतर संवेदनशीलता, कल्पना और नैतिकता को जागृत करती है। यह मनुष्य को उसके भीतर छिपे दिव्य तत्व से जोड़ने का कार्य करती है। इस सरल प्रश्न और उत्तर के माध्यम से कन्फ्यूशियस ने यह संदेश दिया कि जीवन में सौंदर्य और बोध केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना से आता है।

कांग ली ने आगे बताया कि उनके पिता ने उनसे एक और प्रश्न पूछा था—देवताओं को अलंकृत करने की परंपराओं के बारे में। जब कांग ली ने स्वीकार किया कि उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं है, तो कन्फ्यूशियस ने उन्हें यह अभ्यास करने की सलाह दी ताकि वे न केवल बाहरी अनुष्ठानों को समझ सकें, बल्कि उनके पीछे छिपे आत्मिक अर्थ को भी पहचान सकें। यह केवल धार्मिक अभ्यास की बात नहीं थी, बल्कि यह आत्मबोध की प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें बाहरी क्रियाएं भीतर की चेतना को जागृत करती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कन्फ्यूशियस ने अपने पुत्र पर इन बातों को लागू करने के बाद कभी यह देखने का प्रयास नहीं किया कि उसने उनकी बातों का पालन किया या नहीं। उन्होंने न तो निरीक्षण किया और न ही दबाव डाला। यह उनके शिक्षण दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी—स्वतंत्रता के साथ सीखने देना। वे मानते थे कि जब ज्ञान को दबाव से नहीं, बल्कि समझ से ग्रहण किया जाता है, तभी वह व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा बनता है।

चेन जिकिन ने जब यह सारी बातें सुनीं, तो वे गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने केवल एक साधारण प्रश्न पूछा था, लेकिन उत्तरों के माध्यम से उन्हें तीन गहरे सत्य प्राप्त हुए। पहला, उन्हें कविता के महत्व का बोध हुआ, जो आत्मा को जागृत करती है और जीवन में सौंदर्य की अनुभूति कराती है। दूसरा, उन्हें यह समझ मिली कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा को अनुशासित करने का माध्यम हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह था कि एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति दूसरों की ईमानदारी की जांच-पड़ताल नहीं करता, क्योंकि विश्वास स्वयं में एक नैतिक शक्ति है।

यह अंतिम विचार इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु है। ईमानदारी केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों की नींव है। जब कोई व्यक्ति दूसरों पर संदेह करना छोड़ देता है, तो वह न केवल उन्हें स्वतंत्रता देता है, बल्कि स्वयं भी मानसिक शांति प्राप्त करता है। यह दृष्टिकोण मानव संबंधों को संघर्ष से सहयोग की ओर ले जाता है।

कन्फ्यूशियस की यह शिक्षा इस बात को स्पष्ट करती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि जीवन के छोटे-छोटे अनुभवों से जन्म लेता है। वे यह मानते थे कि शिक्षक का कार्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि शिष्य के भीतर सोचने, समझने और आत्मचिंतन की क्षमता विकसित करना है। यही कारण है कि उन्होंने अपने पुत्र को निर्देश देने के बाद उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि आत्मबोध एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा बाहरी दुनिया से शुरू होकर भीतर की ओर जाती है। जब मनुष्य कविता, कला, परंपरा और ईमानदारी जैसे तत्वों को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके आंतरिक अर्थ में समझने लगता है, तब ही वह वास्तविक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है।

आज के समय में, जब संबंधों में अविश्वास और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि विश्वास और ईमानदारी केवल आदर्श नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के व्यावहारिक आधार हैं। यदि हम दूसरों की ईमानदारी पर लगातार संदेह करते रहेंगे, तो हम स्वयं भी मानसिक अशांति में फंस जाएंगे। लेकिन यदि हम विश्वास को अपनाते हैं, तो न केवल हमारे संबंध मजबूत होंगे, बल्कि हमारा आंतरिक जीवन भी शांत और संतुलित रहेगा।

अंततः, कन्फ्यूशियस और चेन जिकिन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाना है। कविता आत्मा को जागृत करती है, परंपराएं चेतना को अनुशासित करती हैं, और ईमानदारी संबंधों को मजबूत बनाती है। जब ये तीनों तत्व एक साथ आते हैं, तभी मनुष्य आत्मबोध की उस अवस्था तक पहुंचता है, जहां ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहता, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाता है।

महिला आरक्षण विधेयक: भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक शांत क्रांति

महिला आरक्षण विधेयक—जिसे औपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 कहा जाता है—भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे मोड़ का प्रतीक है, जिसे केवल संवैधानिक संशोधन या राजनीतिक रणनीति के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत है, जो उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जिसमें महिलाओं ने केवल अधिकारों की मांग ही नहीं की, बल्कि अपनी क्षमता और नेतृत्व को बार-बार सिद्ध भी किया। लंबे समय तक लोकतांत्रिक संरचनाओं में महिलाओं की उपस्थिति सीमित रही, और यह सीमितता केवल संख्याओं तक नहीं थी, बल्कि उस सोच तक भी थी जो नेतृत्व को पुरुष प्रधान दृष्टिकोण से देखती रही। इस विधेयक के माध्यम से पहली बार यह स्वीकार किया गया है कि लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रतिनिधित्व संतुलित और समावेशी न हो।

जब हम इस विधेयक को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल आरक्षण का एक प्रावधान नहीं है, बल्कि यह संस्थागत विश्वास का उद्घोष है। यह उस धारणा को चुनौती देता है कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए विशेष सहारे की आवश्यकता है, और इसके स्थान पर यह स्थापित करता है कि महिलाओं का नेतृत्व स्वाभाविक और आवश्यक है। यह बदलाव केवल नीतिगत नहीं, बल्कि मानसिकता का भी है। जब किसी समाज की संस्थाएं स्वयं यह मानने लगती हैं कि उसकी आधी आबादी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार होनी चाहिए, तो यह उस समाज के परिपक्व होने का संकेत होता है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटों का आरक्षण केवल संख्या बढ़ाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व की परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रयास है। अब तक राजनीति में जो छवि प्रमुख रही है—आक्रामक, प्रतिस्पर्धी और कभी-कभी टकरावपूर्ण—वह धीरे-धीरे एक संतुलित, संवादपरक और समावेशी रूप में परिवर्तित हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सभी महिला नेता एक ही प्रकार की राजनीति करेंगी, लेकिन विविधता का यह विस्तार लोकतंत्र को अधिक जीवंत और उत्तरदायी बनाएगा।

आलोचक अक्सर यह कहते हैं कि आरक्षण अपने आप में सशक्तिकरण की गारंटी नहीं है। यह तर्क अपनी जगह सही है, क्योंकि केवल अवसर मिलना और उस अवसर का प्रभावी उपयोग करना दो अलग-अलग बातें हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अवसर के बिना सशक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। लोकतंत्र में हर बड़ा परिवर्तन—चाहे वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हो या पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार—पहले एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में ही सामने आया। समय के साथ इन परिवर्तनों ने समाज की सोच और व्यवहार को भी प्रभावित किया। महिला आरक्षण विधेयक भी इसी क्रम का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो एक "पाइपलाइन प्रभाव" उत्पन्न करेगा।

यह पाइपलाइन प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विधानसभाओं और संसद में अधिक महिलाएं दिखाई देंगी, तो यह केवल वर्तमान को नहीं बदलेगा, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेगा। आज जो महिलाएं इन मंचों पर आएंगी, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक सतत चक्र विकसित होगा, जिसमें पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व का एक मजबूत आधार तैयार होगा। यह केवल प्रतिनिधित्व का विस्तार नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व की गुणवत्ता और विविधता में भी वृद्धि करेगा।

इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका सांस्कृतिक प्रभाव है। प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, बल्कि यह समाज को शिक्षित भी करता है। जब युवा लड़कियां महिलाओं को संसद में बहस करते, नीतियां बनाते और राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेते हुए देखेंगी, तो उनके लिए यह एक सामान्य दृश्य बन जाएगा। महत्वाकांक्षा, जो पहले असाधारण लगती थी, अब सामान्य हो जाएगी। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। यह उस मानसिकता को बदलता है जो यह मानती थी कि राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र है।

इसके साथ ही, यह विधेयक परिवार और समाज के भीतर भी शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय होंगी, तो उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति दोनों मजबूत होंगे। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका घर से लेकर समाज तक बढ़ेगी। यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है, जिसमें लैंगिक समानता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनती है। शासन के दृष्टिकोण से भी यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में स्थानीय निकायों के अनुभव ने यह दिखाया है कि जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं, तो वे अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि इस प्रकार का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ता है, तो नीतियों का फोकस अधिक मानव-केंद्रित हो सकता है। इससे विकास केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और मानवीय आयामों को भी समान महत्व मिलेगा।

हालांकि, इस परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होंगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिलाएं वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं, न कि केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति बनकर रह जाएं। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी अपनी आंतरिक संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव लाना होगा। उन्हें महिलाओं को केवल टिकट देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार करने, प्रशिक्षित करने और समर्थन देने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

अभियान

चितिरई उत्सव: दक्षिण भारत की जीवंत आस्था, संस्कृति और सामाजिक चेतना का विराट महाकाव्य

दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपरा में यदि किसी एक उत्सव को सम्पूर्ण जीवन-दर्शन का प्रतीक माना जाए, तो वह है मीनाक्षी अम्मन मंदिर का चितिरई उत्सव। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला नहीं, बल्कि इतिहास, लोकविश्वास, आध्यात्मिक अनुभव और सामाजिक एकता का वह विराट संगम है, जिसमें पूरा मदुरै शहर एक जीवंत तीर्थ और रंगमंच में परिवर्तित हो जाता है। यह उत्सव हर वर्ष यह सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को सामूहिक रूप से जीने की एक गहरी परंपरा है, जहां मनुष्य, समाज और देवत्व एक ही प्रवाह में मिल जाते हैं।

चितिरई उत्सव का आरंभ होते ही मदुरै का वातावरण बदल जाता है। सामान्य दिनचर्या से हटकर पूरा शहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब जाता है। गलियाँ सजती हैं, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती है और लोगों के मन में एक सामूहिक उत्साह जाग उठता है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सामाजिक घटना है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है और स्वयं को उस परंपरा का हिस्सा मानता है जो सदियों से चली आ रही है।

इस उत्सव की पौराणिक जड़ें दो प्रमुख कथाओं में मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार, देवी मीनाक्षी, जिन्हें मदुरै की शासिका भी माना जाता है, और भगवान शिव के रूप में सुंदरेश्वर का दिव्य विवाह इसी समय संपन्न होता है। यह विवाह केवल देवताओं का मिलन नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना के संतुलन का दार्शनिक प्रतीक है। मीनाक्षी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि सुंदरेश्वर चेतना का। इन दोनों का मिलन यह संदेश देता है कि सृष्टि तभी संतुलित रह सकती है जब शक्ति और ज्ञान एक साथ हों।

दूसरी कथा भगवान विष्णु से जुड़ी है, जिन्हें यहां अलगर के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि वे देवी मीनाक्षी के भाई के रूप में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाते और वैगई नदी के तट पर ही रुक जाते हैं। यह प्रसंग केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा प्रतीक है। यह दिखाता है कि जीवन में कई बार परिस्थितियाँ, समय और संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है, फिर भी भावनात्मक जुड़ाव समाप्त नहीं होता।

चितिरई उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक आरंभ "कोडी एट्रम" यानी ध्वजारोहण से होता है। मंदिर के शिखर पर जैसे ही ध्वज फहराया जाता है, पूरा वातावरण एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है। यह ध्वज केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह घोषणा होती है कि अब मदुरै शहर एक पवित्र काल में प्रवेश कर चुका है। यह क्षण लोगों के मन में यह विश्वास जगाता है कि वे अब साधारण जीवन से ऊपर उठकर एक दिव्य अनुभव का हिस्सा बन चुके हैं।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है—मीनाक्षी तिरुकल्याणम, यानी दिव्य विवाह। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक और भव्य होता है। मंदिर के भीतर वैदिक मंत्रों की गूंज, शंख और घंटों की ध्वनि, फूलों की सुगंध और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति एक ऐसा वातावरण बनाती है जो केवल देखा नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। लोग इसे केवल देवताओं का विवाह नहीं मानते, बल्कि अपने जीवन के किसी आत्मीय क्षण की तरह देखते हैं। कई श्रद्धालु इस विवाह को ऐसे अनुभव करते हैं जैसे वे अपनी ही बेटी या परिवार के किसी सदस्य का विवाह देख रहे हों। यह भावना भारतीय संस्कृति की उस गहराई को दर्शाती है जहां देवता और मनुष्य के बीच दूरी नहीं, बल्कि आत्मीयता होती है।

विवाह के पश्चात रथ यात्रा या थेरु उत्सव प्रारंभ होता है। विशाल, रंगीन और कलात्मक रूप से सजाए गए रथों में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पूरे शहर में भ्रमण करती हैं। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्सव बन जाता है जिसमें पूरा शहर सहभागी होता है। सड़कों पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और वातावरण को उत्सवमय बना देते हैं। यह दृश्य मदुरै को एक जीवंत सांस्कृतिक महाकाव्य में बदल देता है।

चितिरई उत्सव का सबसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक क्षण अलगर का वैगई नदी में प्रवेश है। जब अलगर नदी में उतरते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के अधूरेपन और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक बन जाता है। यह दृश्य यह सिखाता है कि जीवन में पूर्णता हमेशा संभव नहीं होती, लेकिन संबंध और श्रद्धा फिर भी जीवित रहते हैं। यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब लोग पूर्णता की दौड़ में अपने संबंधों और भावनाओं को खो देते हैं।

चितिरई उत्सव केवल मंदिर या देवताओं तक सीमित नहीं रहता। यह पूरे समाज का उत्सव बन जाता है। समाज का हर वर्ग इसमें भाग लेता है—व्यापारी, कलाकार, कारीगर, किसान और विद्यार्थी सभी। लोकनृत्य, संगीत, नाटक और परंपरागत कला रूप इस उत्सव को और अधिक जीवंत बना देते हैं। यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का भी एक बड़ा मंच बन जाता है, जहां परंपरा और कला एक साथ सांस लेते हैं।

इस उत्सव के दौरान मदुरै शहर केवल एक नगर नहीं रहता, बल्कि वह एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है। दूर-दूर से लोग इस उत्सव को देखने नहीं, बल्कि उसे जीने आते हैं। यह अनुभव उन्हें यह एहसास कराता है कि भारतीय संस्कृति केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि आज भी जीवित और गतिशील परंपरा है। यह संस्कृति हर पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती है और उन्हें एक साझा पहचान प्रदान करती है।

चितिरई उत्सव में देवी मीनाक्षी का स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल देवी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शासिका और योद्धा के रूप में पूजी जाती हैं। यह भारतीय संस्कृति की उस गहरी सोच को दर्शाता है जिसमें नारी शक्ति को केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि नेतृत्व का प्रतीक भी माना जाता है। उनका विवाह उनकी स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे संतुलन और विस्तार प्रदान करता है। यह संदेश आज के समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है।

आधुनिक युग में भी यह उत्सव अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। तकनीक, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के बावजूद लोग इस परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं होती, बल्कि वह निरंतर विकसित होने वाली जीवंत प्रक्रिया है, जो समय के साथ भी अपनी आत्मा को बनाए रखती है।

चितिरई उत्सव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सामूहिक अनुभवों और संबंधों का एक सुंदर ताना-बाना है। जब समाज एक साथ आकर आस्था, संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाता है, तब वह केवल धार्मिक नहीं रहता, बल्कि मानवता का उत्सव बन जाता है। अंततः कहा जा सकता है कि चितिरई उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का जीवंत प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि आस्था, समाज और संस्कृति अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही जीवन प्रवाह के विभिन्न रूप हैं। जब ये सभी एक साथ प्रवाहित होते हैं, तो एक ऐसा महाकाव्य जन्म लेता है जो केवल देखा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। यही इस उत्सव की सबसे बड़ी शक्ति है और यही इसकी शाश्वत पहचान भी है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति के वेश में आपराधिक कृत्य: सूरत के खदेश्वर बाबा का मामला चर्चा में है, अंधविश्वास पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज भारत में भगवा वस्त्र पहनने वालों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप निर्दोष लोगों, विशेषकर महिलाओं को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं, तो भगवा वस्त्र ही आपका एकमात्र हथियार है। "धर्म" के नाम पर, भगवा वस्त्र पहनना, गले में दो-चार मालाएँ पहनना, लंबे बाल और लंबी राख लगाना और तिलक-तप करना, इससे आप पूजा के योग्य बन जाते हैं और फिर आप पर अंधविश्वास थोपा जाता है और उस अंधविश्वास की मदद से आपको अत्याचार करने की छूट मिल जाती है? और ऐसे ही एक भगवा वस्त्रधारी साधु ने

20-25 साल पहले सूरत के दिंडोली इलाके के तहखाने में एक आश्रम बनाया था। सब लोग उस बाबा को खदेश्वर बाबा के नाम से जानते थे। वह खदेश्वर बाबा 24 घंटे खड़े रहते थे। और इसके लिए वे अपने तहखाने वाले आश्रम में एक दीवार से दूसरी दीवार तक एक लंबी रस्सी बाँधकर 24 घंटे खड़े रहते थे। वह एक तरफ झूला टांगते, अपना आधा पैर झूले पर रखते, घुटने मोड़ते और एक पैर जमीन पर रखते। इसीलिए उन्हें खदेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता था।

उसके पास एक खुली जीप थी, जिसके चारों ओर दो कोनों पर एक लंबा खंभा लगा हुआ था और उस पर एक झूला रखा था, जिस पर बाबा खड़े होते थे। यह खदेश्वर भगवा वस्त्र पहनते थे, इसलिए लोग उन्हें साधु कहते थे, लेकिन असल में वे साधु के वेश में एक शैतान से कम

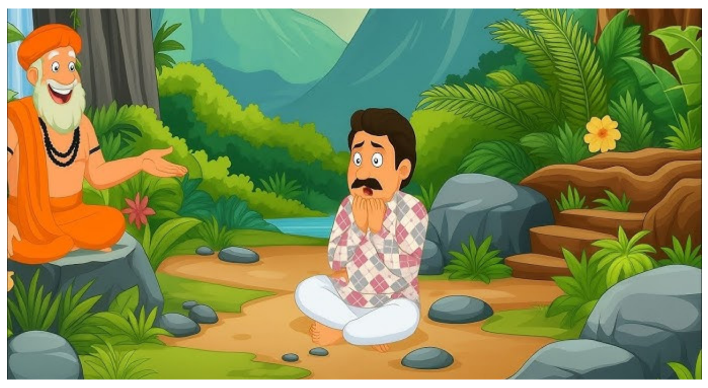

नहीं थे। ये खदेश्वर बाबा किस तरह का धंधा करते थे? उनके पास एक रिवॉल्वर थी। अरे!

साधु बाबा को हथियारों की क्या ज़रूरत है? फिर भी, भगवा वस्त्र पहने, साधु के वेश में छिपे इस शैतान को, जो रिवॉल्वर लिए घूमता था, भातर रोड के एक जाने-माने संगमरमर व्यापारी ने गोली मार दी, जो जादव मार्बल के नाम से कारोबार करता था। इस भगवा वस्त्रधारी खदेश्वर ने जादव मार्बल के मालिक तेजपाल वर्मा पर सीधा निशाना साधा था। लेकिन सौभाग्य से, तेजपाल वर्मा बाल-बाल बच गए। गोली चलाने का कारण यह था कि तेजपाल वर्मा जमीन विवाद के एक मामले में खदेश्वर बाबा से सहमत नहीं थे, इसलिए खदेश्वर ने रिवॉल्वर से गोली चलाकर तेजपाल को चुप कराने की कोशिश की। जो पूरी तरह से विफल रहा।

इस तरह, खदेश्वर भगवा वस्त्र पहनकर ऐसे काम करते थे कि शैतान भी शर्म से लाल हो जाए। वे मुख्य रूप से अपने तहखाने जैसे आश्रम का इस्तेमाल भूमि विवाद सुलझाने के लिए करते थे और अगर कोई विरोधी समझौता करने से हिचकिचाता, तो वे उसके सामने रखी रिवाल्वर दिखाकर समझौता करने की धमकी देते थे। वे किसी भी तरह समझौता करवाकर मोटी रकम वसूलते थे। और अगर बात बिगड़ती, तो वे गोली भी चला देते थे। आज भी सूरत शहर और जिले के अमरोली, मोराटेकरा, ओलपाड रोड, जहांगीरपुरा, कामरेज, उधना मेन रोड आदि कई इलाकों में ऐसे कई आश्रम चल रहे हैं, जहां बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी, बिल्डर, राजनेता, व्यापारी और आम लोग भी भगवा वस्त्र पहनने वालों के अंधविश्वास में फंसकर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। सवाल यह है कि अगर आप सचमुच सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सच्चे धर्म का पालन करते हैं, तो आपको साधु का वेश धारण करने, गले में माला पहनने, बड़ी दाढ़ी रखने और इस तरह के दिखावे की क्या ज़रूरत है? यह खुलेआम सनातन धर्म का अपमान है। यह धर्म को बदनाम करना है। अगर आप भगवा वस्त्र पहनते हैं और आपको भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-दौलत जैसे एसी कार, एसी कमरे, आलीशान आश्रम चाहिए, तो भगवा वस्त्र उतारकर व्यापारी या आम आदमी बन जाइए। आप ऐसा भी नहीं करते। आप बस भगवा वस्त्र पहनते हैं और गलत काम करते हैं। आप महिलाओं का यौन शोषण करना चाहते हैं और विकृत यौन सुख भोगते हैं। फिर, भगवा वस्त्र पहनने वाले आप जैसे लोगों की तुलना में, डाकू

कई अच्छे या खुलेआम गलत काम करते हैं। इसके साथ ही, वे महिलाओं का समान सम्मान भी करते हैं। लेकिन वे धर्म को बदनाम नहीं करते। अंत में, आज भी कई उद्योगपति, राजनेता, माफिया ऐसे भगवा वस्त्रधारी लोगों के आश्रमों में ज़मीन के मामले लेकर जाते हैं और मामला सुलझाते हैं। और जब भगवा वस्त्रधारी लोगों के आश्रमों की अलमारियाँ इतनी सारी फाइलों से भरी पड़ी हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा शिक्षित, सम्मानित वर्ग पाँच व्यापारियों के साथ बैठकर या समाज के बड़े नेताओं को इकट्ठा करके इस मुद्दे को सुलझा सकता है? या फिर अदालत या पुलिस जैसी कानूनी कार्यवाही करने वाली संस्थाओं के बजाय, जब वे भगवा वस्त्रधारी लोगों के आश्रमों में जाते हैं, तो क्या अदालत कार्यालय को बंद करके भगवा वस्त्रधारी लोगों की शरण में जाना चाहिए? या फिर

ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ केवल "धर्म" के नाम पर धमकियाँ, अपहरण, बलात्कार और हत्या की बातें हो रही हों? अब जनता के सोचने का समय आ गया है।

घरेलू हिंसा मामलों में समयसीमा नहीं, आर्थिक शोषण को कोर्ट ने माना निरंतर अपराध

सूरत। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐसा फैसला सुनाया है, जो न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है बल्कि समाज में पीड़ित महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक स्पष्ट संदेश भी देता है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक शोषण कोई एक बार होने वाला अपराध नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में इस तरह के मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी तय समयसीमा को बाधा नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मामला सूरत के जहांगीरपुरा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हिना पटेल नामक महिला ने अपने पति जय पटेल और ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अर्जी दाखिल की थी। हिना का विवाह वर्ष 2016 में पालनपुर क्षेत्र निवासी जय पटेल के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति के संयुक्त परिवार में रहने लगीं, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद से ही उस पर पैसों को लेकर दबाव बनाया जाने लगा। उससे बार-बार आर्थिक मांगें की जाती थीं और धीरे-धीरे उसके बैंक खातों और व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन पर भी पति का नियंत्रण स्थापित हो गया। यह स्थिति केवल आर्थिक निर्भरता तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे अपने ही संसाधनों से वंचित करने का माध्यम बन गई। अदालत में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह आर्थिक नियंत्रण उसके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता पर भी सीधा प्रहार था।

मामले में एक और गंभीर आरोप यह भी सामने आया कि पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था, जिसके चलते दंपति के बीच अक्सर विवाद होते थे। इन विवादों ने समय के साथ हिंसक रूप ले लिया और पीड़िता के साथ मारपीट, गाली-गलौज और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ने लगीं। पति के कथित रूप से शराब और अन्य नशे की लत ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया, जिससे घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा।

वर्ष 2019 में एक गंभीर घटना के दौरान हिना पटेल को कथित रूप से घर से निकाल दिया गया। इसके बाद से उन्हें अपने मायके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस दौरान पति या ससुराल पक्ष की ओर से उनके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह स्थिति उनके लिए न केवल आर्थिक संकट का कारण बनी, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें गहरे आघात से गुजरना पड़ा।

इन्हीं परिस्थितियों में पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, पति की ओर से इस याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी गई कि घटना के पांच वर्ष बाद मामला दर्ज किया गया है, इसलिए इसे समयसीमा के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। पति का तर्क था कि इतने लंबे अंतराल के बाद शिकायत करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

वहीं, पीड़िता की ओर से अधिवक्ता प्रीति जिग्नेश जोशी ने अदालत में ठोस कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक शोषण—विशेष रूप से भरण-पोषण से वंचित रखना—एक सतत अपराध है। इसका प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक पीड़िता उस स्थिति से बाहर नहीं निकलती या उसे न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए ऐसे मामलों में समयसीमा का प्रश्न लागू नहीं होता।

सभी पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सूरत के 9वें अतिरिक्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.के. चांद ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि आर्थिक शोषण एक निरंतर चलने वाला गलत कार्य है। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि जब तक पीड़िता इस शोषण के प्रभाव को झेलती रहती है, तब तक यह अपराध जारी माना जाएगा। ऐसे में केवल इस आधार पर कि शिकायत देर से दर्ज की गई है, उसे खारिज करना न्यायसंगत नहीं होगा।

अदालत ने यह भी पाया कि पीड़िता वर्तमान में अपने मायके में रह रही है और उसे पति की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। इसे स्पष्ट रूप से आर्थिक हिंसा का मामला मानते हुए अदालत ने पति की याचिका को खारिज कर दिया और मूल मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।

यह फैसला केवल एक व्यक्तिगत मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और कानूनी प्रभाव रखता है। भारत में घरेलू हिंसा के कई मामले ऐसे होते हैं, जहां महिलाएं लंबे समय तक चुप रहती हैं—कभी सामाजिक दबाव के कारण, तो कभी आर्थिक निर्भरता या परिवार की इज्जत के नाम पर। ऐसे में यह निर्णय उन्हें यह भरोसा देता है कि न्याय पाने के लिए समयसीमा की बाध्यता उनके रास्ते में नहीं आएगी, खासकर तब जब अत्याचार का प्रभाव लगातार बना हुआ हो। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा, जहां पीड़िताएं देर से न्याय की मांग करती हैं। यह न्यायपालिका की उस संवेदनशीलता को भी दर्शाता है, जिसमें कानून की व्याख्या केवल तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

समाज के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं होती, बल्कि आर्थिक और मानसिक शोषण भी उतना ही गंभीर अपराध है। अदालत का यह रुख इस बात को मजबूत करता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पूरी तरह सजग है और किसी भी प्रकार के अन्याय को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

इस फैसले के साथ सूरत की अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय केवल समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह पीड़ित के अधिकारों और उसके संघर्ष की निरंतरता को भी समझता है। यही दृष्टिकोण न्याय को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाता है।

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच 72 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित वापसी, संकट में सरकार की तत्परता का बड़ा उदाहरण

वलसाड। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों के 72 मछुआरे सुरक्षित भारत लौट आए। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बने युद्ध जैसे हालात ने इन मछुआरों को कई हफ्तों तक भय और अनिश्चितता के साये में जीने को मजबूर कर दिया था, लेकिन अंततः भारत सरकार के प्रयासों से सभी को सकुशल स्वदेश लाया गया। यह पूरा घटनाक्रम न केवल एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संकट की घड़ी में अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भारत कितनी गंभीरता से कार्य करता है।

सोमवार सुबह जब ये मछुआरे अपने गृह जिले वलसाड पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी विजयी योद्धा की तरह किया गया। सर्किट हाउस परिसर में परिवारजनों, स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने इस क्षण को बेहद भावुक बना दिया। लंबे समय बाद अपनों से मिलने की खुशी में कई मछुआरों की आंखें नम हो गईं। "भारत माता की जय" के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा, जो उनके मन में देश के प्रति आभार और गर्व को दर्शाता था।

इस मौके पर गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई, विधायक भरतभाई पटेल, जिला कलेक्टर भव्य वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मछुआरों का अभिनंदन करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई। प्रशासन की ओर से उनके स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया, ताकि वे इस कठिन अनुभव से धीरे-धीरे सामान्य जीवन में लौट सकें।

जानकारी के अनुसार, ये सभी मछुआरे रोजगार की तलाश में ईरान गए थे और वहां समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे थे। 28 फरवरी के आसपास अचानक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और हालात युद्ध जैसे हो गए। बमबारी, सैन्य गतिविधियों और बढ़ते असुरक्षा के माहौल के कारण इन मछुआरों की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। संचार व्यवस्था बाधित होने लगी और कई स्थानों पर आवागमन भी ठप हो गया, जिससे उनके लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचना भी कठिन हो गया। मछुआरों ने बताया कि जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, उनका डर भी बढ़ता गया। उन्होंने अपने परिवारों और प्रशासन तक मदद की गुहार पहुंचाने के लिए वीडियो संदेश भेजे, जो सोशल मीडिया और स्थानीय प्रशासन तक पहुंचे। इसके बाद भारत सरकार और संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो गईं। यह वह क्षण था जब उम्मीद की एक किरण दिखाई देने

लगी। इस पूरे अभियान में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और एस. जयशंकर के विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ईरान सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर इन मछुआरों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की गई। जटिल परिस्थितियों के बावजूद कूटनीतिक स्तर पर तेजी से बातचीत की गई और सभी को सुरक्षित भारत लाने का रास्ता तैयार किया गया। ईरान से निकाले जाने के बाद इन मछुआरों को पहले चेन्नई एयरपोर्ट लाया गया, जहां उनका स्वागत किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल भी मौजूद रहे और उन्होंने मछुआरों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद दो बसों के जरिए उन्हें गुजरात के वलसाड लाया गया, जहां उनके परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

मछुआरे राजेशभाई पटेल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बमबारी के दौरान उनकी नाव का जीपीएस सिस्टम अचानक बंद हो गया था, जिससे वे समुद्र में अपनी स्थिति को लेकर पूरी तरह असहाय हो गए। उन्होंने कहा कि एक महीने तक वे डरे-सहमे हालात में एक कमरे में रहने को मजबूर थे, जहां हर दिन अनिश्चितता और भय से भरा हुआ था। एयरपोर्ट बंद होने के कारण उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वे कभी घर नहीं लौट पाएंगे। उनकी यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी 72 मछुआरों की है, जिन्होंने एक-एक दिन डर और उम्मीद के बीच बिताया। यह अनुभव उनके जीवन का ऐसा अध्याय बन गया है, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। हालांकि अब सुरक्षित घर लौटने के बाद उनके चेहरों पर राहत और संतोष साफ झलक रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन भारत की विदेश नीति और आपदा प्रबंधन क्षमता का एक सशक्त उदाहरण है। जब भी विदेशों में भारतीय नागरिक संकट में फंसते हैं, तो सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्परता से कदम उठाए जाते हैं। इससे न केवल नागरिकों का विश्वास मजबूत होता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित होती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर किया है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिक और मछुआरे किन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। बेहतर समन्वय, सुरक्षा उपायों और आपातकालीन सहायता प्रणाली की आवश्यकता पर भी इस घटना ने ध्यान आकर्षित किया है।

अंततः, यह कहानी केवल एक सफल बचाव अभियान की नहीं है, बल्कि यह मानव साहस, उम्मीद और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संकट की उस घड़ी में जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था, तब एक संगठित प्रयास ने 72 जिंदगियों को सुरक्षित घर वापस लाकर यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।

अहमदाबाद मंडल को मिली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात,अहमदाबाद से पटना के बीच संचालित होगी ट्रेन सेवा

भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को बेहतर, किफायती एवं सुविधाजनक रेल सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अहमदाबाद–पटना के बीच चल रही विशेष ट्रेन को नियमित कर 21905/21906 अहमदाबाद–पटना अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अहमदाबाद से चलने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो गुजरात और बिहार के बीच रेल संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

इस ट्रेन का नियमितीकरण यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह निर्णय विभिन्न जोनों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबी दूरी की यात्रा को अधिक सुगम, सुव्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

ट्रेन संख्या 21905 अहमदाबाद–पटना अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को शाम 18:30 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर शुक्रवार को 00:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 21906 पटना–अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को 22:30 बजे पटना से प्रस्थान कर रविवार को प्रातः 05:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। यह सेवा साप्ताहिक आधार पर संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को नियमित एवं विश्वसनीय रेल सुविधा प्राप्त होगी।

इस ट्रेन सेवा को शीघ्र ही सुविधाजनक तिथि से लागू किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक रूप से विशेष सेवा के रूप में भी संचालित किया जा सकता है।

मार्ग में दोनों दिशाओ में यह ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज और दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी जिससे व्यापक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक रेक एवं उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित होगी, जो आम यात्रियों के लिए किफायती एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। यह सेवा लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

यात्रियों के लिए प्रमुख लाभ:

- गुजरात–बिहार के बीच सीधी एवं सुविधाजनक कनेक्टिविटी
- कम लागत में लंबी दूरी की यात्रा का बेहतर विकल्प
- समयबद्ध एवं नियमित सेवा से यात्रा की बेहतर योजना
- मार्ग के प्रमुख शहरों को जोड़ने से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा
- व्यापार, रोजगार एवं सामाजिक आवागमन में वृद्धि
- यह नई सेवा न केवल यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी, बल्कि पश्चिम एवं पूर्व भारत के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी और मजबूत बनाएगी, जो भारतीय रेल की यात्री-केंद्रित एवं प्रगतिशील सोच का परिचायक है।

क्रूड ऑयल वायदा में 589 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 1186 रुपये और चांदी वायदा 5492 रुपये लुढ़का

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 155224.38 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 20369.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 134855.13 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3096.63 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12046.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 151547 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152144 रुपये और नीचे में 151255 रुपये पर पहुंचकर, 152652 रुपये के पिछले बंद के सामने 1186 रुपये या 0.78 फीसदी गिरकर 151466 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 796 रुपये या 0.65 फीसदी घटकर 121106 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 107 रुपये या 0.7 फीसदी घटकर 15172 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी मई वायदा 150054 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150700 रुपये और नीचे में 149733 रुपये पर पहुंचकर, 1183 रुपये या 0.78 फीसदी घटकर 150032 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 150540 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151099 रुपये और नीचे में 150058 रुपये पर पहुंचकर, 151540 रुपये के पिछले बंद के सामने 1113 रुपये या 0.73 फीसदी घटकर 150427 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 238362 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 239600 रुपये और नीचे में 237190 रुपये पर पहुंचकर, 243274 रुपये के पिछले बंद के सामने 5492 रुपये या 2.26 फीसदी गिरकर 237782 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 5389 रुपये या 2.2 फीसदी गिरकर 239711 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 5294 रुपये या 2.16 फीसदी की गिरावट के साथ 239799 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 20369.25 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 134855.13 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 12046.11 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

मेटल वर्ग में 2899.08 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 6.45 रुपये या 0.53 फीसदी बढ़कर 1216.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 2.6 रुपये या 0.79 फीसदी की मजबूती के साथ 333.6 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 7.95 रुपये या 2.22 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 365.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 95 पैसे या 0.49 फीसदी बढ़कर 194.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5329.27 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 9454 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 9850 रुपये और नीचे में 9454 रुपये पर पहुंचकर, 589 रुपये या 6.44 फीसदी बढ़कर 9742 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 587 रुपये या 6.42 फीसदी की तेजी के संग 9737 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 252 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 255.9 रुपये और नीचे में 250.2 रुपये पर पहुंचकर, 248.7 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.7 रुपये या 2.69 फीसदी की तेजी के संग 255.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 6.7 रुपये या 2.69 फीसदी बढ़कर 255.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 1011.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.6 रुपये या 0.26 फीसदी लुढ़ककर 984 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7805.76 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 4240.35 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1791.08 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 763.54 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 9.94 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 311.37 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3986.33 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1309.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 1.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8888 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 54301 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27043 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 378884 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 57454 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7268 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21213 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 83632 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17488 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 45621 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 138 रुपये की बढ़त के साथ 336.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.9 रुपये की बढ़त के साथ 12.45 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 329 रुपये की गिरावट के साथ 1055 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 111 रुपये की गिरावट के साथ 450 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.41 रुपये की बढ़त के साथ 6.32 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 48 पैसे की नरमी के साथ 4.05 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 247.5 रुपये की गिरावट के साथ 141.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.85 रुपये की गिरावट के साथ 7.1 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 190.5 रुपये की बढ़त के साथ 967 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 264 रुपये की बढ़त के साथ 1189.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 98 पैसे की नरमी के साथ 16.91 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 29 पैसे के सुधार के साथ 1.2 रुपये हुआ।

एक ही शख्स तीन पार्टियों का उम्मीदवार!

गुजरात चुनाव में अनोखा सियासी पेच

गुजरात की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक नैतिकता और प्रशासनिक व्यवस्था—तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दाहोद जिला पंचायत की पिपेरो सीट से जुड़ा यह मामला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दिलचस्प भी, क्योंकि यहां एक ही व्यक्ति ने एक साथ तीन प्रमुख राजनीतिक दलों—भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी—से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। यह मामला केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति, अवसरवाद और चुनावी प्रक्रिया की जटिलताओं का अनोखा मिश्रण बन गया है।

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं भरत सिंह वखाला, जो पहले भी अपने राजनीतिक रुख बदलने के लिए जाने जाते रहे हैं। वखाला का राजनीतिक सफर किसी एक दल तक सीमित नहीं रहा है। वे पहले कांग्रेस में रहे, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और बाद में भाजपा के करीब आते दिखाई दिए। यही कारण है कि जब उन्होंने पिपेरो सीट से नामांकन दाखिल किया, तो वह केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तीनों दलों से उनके नामांकन फॉर्म सामने आ गए।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान जब कुल 11 फॉर्म की जांच हुई, तो अधिकारियों के सामने एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई। भाजपा की ओर से पांच फॉर्म दाखिल किए गए, जिनमें वखाला का नाम भी शामिल था। कांग्रेस की ओर से दो फॉर्म दाखिल हुए, जिनमें एक वखाला का था। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी एकमात्र फॉर्म वखाला के नाम से ही जमा हुआ। इसके अलावा दो निर्दलीय और एक अन्य पार्टी का फॉर्म भी शामिल था। इस तरह एक ही व्यक्ति तीन अलग-अलग राजनीतिक दलों का संभावित उम्मीदवार बनकर सामने आया।

यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए चुनौती बन गई, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर भी असहजता पैदा करने लगी। आमतौर पर किसी भी उम्मीदवार को पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी तभी माना जाता है, जब वह तय समय सीमा के भीतर पार्टी का अधिकृत पत्र—जिसे 'फॉर्म बी' कहा जाता है—जमा करता है। यही दस्तावेज यह तय करता है कि उम्मीदवार वास्तव में किस पार्टी का अधिकृत चेहरा है।

यहीं से इस पूरे मामले का असली पेच शुरू होता है। अभी तक वखाला ने तीनों दलों से नामांकन तो दाखिल कर दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस

पार्टी का 'फॉर्म बी' जमा करते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पार्टियों से नामांकन करता है, तो उसे अंततः एक ही पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार माना जाएगा, बाकी नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएंगे या वापस लेने होंगे।

स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अनुसार, इस स्थिति की स्पष्टता 15 तारीख को सामने आएगी, जो नामांकन वापसी और अधिकृत पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। उसी दिन यह तय होगा कि भरत सिंह वखाला किस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और बाकी नामांकन का क्या होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति भी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ इसे 'पॉलिटिकल हेजिंग' यानी सभी विकल्प खुले रखने की रणनीति मान रहे हैं, जहां उम्मीदवार आखिरी समय तक अपने लिए सबसे मजबूत और फायदेमंद विकल्प चुनने की कोशिश करता है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण बता रहे हैं, जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व जीतने की संभावना को दिया जा रहा है।

इस घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। आखिर कैसे तीनों बड़े दलों ने एक ही व्यक्ति को अपना संभावित उम्मीदवार बनने दिया? क्या यह समन्वय की कमी है या फिर स्थानीय स्तर पर गुटबाजी का परिणाम? यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्टियों ने उम्मीदवारों की जांच-पड़ताल में पर्याप्त सावधानी बरती या नहीं।

पिपेरो सीट को पारंपरिक रूप से एक मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जहां स्थानीय समीकरण काफी जटिल हैं। ऐसे में वखाला जैसे उम्मीदवार का तीनों दलों से जुड़ना यह भी संकेत देता है कि वह स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली हैं और हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। यही वजह है कि तीनों दलों ने किसी न किसी रूप में उन्हें मौका देने की कोशिश की।

अब सबकी निगाहें 26 अप्रैल को होने वाले मतदान और उससे पहले 15 अप्रैल की समयसीमा पर टिकी हैं। 28 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे, तब यह भी साफ हो जाएगा कि इस अनोखे सियासी प्रयोग का अंत क्या हुआ। लेकिन फिलहाल यह मामला गुजरात की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और यह दिखा रहा है कि लोकतंत्र में कभी-कभी ऐसे भी मोड़ आते हैं, जो नियमों और परंपराओं दोनों को चुनौती दे देते हैं।

अहमदाबाद मंडल ने 97.5% पंक्चुअलिटी के साथ रचा कीर्तिमान, रेल मंत्री ने की सराहना

माननीय रेल मंत्री ने श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में आयोजित सभी महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद रेल मंडल के उत्कृष्ट परिचालन प्रदर्शन की विशेष सराहना की।

अहमदाबाद रेल मंडल ने यात्री गाड़ियों के संचालन में 97.5% की उल्लेखनीय समयपालन (पंक्चुअलिटी) प्राप्त कर भारतीय रेलवे के शीर्ष तीन मंडलों में स्थान अर्जित किया है। यह उपलब्धि न केवल मंडल की परिचालन दक्षता को दर्शाती है, बल्कि संपूर्ण भारतीय रेल के लिए एक आदर्श (रोल मॉडल) के रूप में स्थापित हुई है।

माननीय रेल मंत्री ने इस अवसर पर उन सभी रेलवे ज़ोनों को भी बधाई दी, जिन्होंने 85% से अधिक पंक्चुअलिटी हासिल की तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया।

अपने संबोधन में रेल मंत्री ने कहा कि सतत प्रयासों, प्रभावी योजना एवं यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय रेल सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी दोहराया कि आधुनिक तकनीक, उन्नत मॉनिटरिंग प्रणाली तथा बेहतर परिचालन प्रबंधन के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल द्वारा परिचालन क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं। मंडल द्वारा 320 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, 44 प्रीमियम गाड़ियों तथा 48 DEMU/MEMU/लोकल ट्रेनों का सफल संचालन किया गया, जिनमें से 115 जोड़ी गाड़ियाँ अहमदाबाद मंडल से प्रारंभ/समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन लगभग 230 मालगाड़ियों का संचालन किया गया, जबकि मार्च 2026 के दौरान कुल 7,211 मालगाड़ियों का सफल परिचालन सुनिश्चित किया गया। परिचालन दक्षता में वृद्धि हेतु मंडल द्वारा 89 ट्रेनों की गति में सुधार करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1,057 मिनट की बचत सुनिश्चित की गई। साथ ही, 23 ट्रेनों के यात्रा समय में 5 मिनट से लेकर सवा दो घंटे तक की कमी की गई। इसके अतिरिक्त, 4 स्थायी गति प्रतिबंध (PSR) को हटाकर ट्रेनों की गति एवं समयपालन में और अधिक सुधार किया गया।

इन उल्लेखनीय उपलब्धियों में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के कुशल नेतृत्व तथा परिचालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित एवं समर्पित प्रयासों के लिए टीम अहमदाबाद को धन्यवाद दिया।

अहमदाबाद रेल मंडल भविष्य में भी नवाचार, दक्षता एवं यात्री-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

पश्चिम रेलवे चलाएगी गांधीधाम–मालदा टाउन गांधीधाम समर स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए गांधीधाम–मालदा टाउन–गांधीधाम के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

v ट्रेन संख्या 09463/09464 गांधीधाम-मालदा टाउन-गांधीधाम समर स्पेशल

ट्रेन संख्या 09463 गांधीधाम-मालदा टाउन समर स्पेशल दिनांक 19 अप्रैल 2026 (रविवार) को गांधीधाम से 12:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन मंगलवार को 09:10 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09464 मालदा टाउन-गांधीधाम समर स्पेशल दिनांक 21 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को मालदा टाउन से 17:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन गुरुवार को 15:30 बजे गांधीधाम पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में सामाखियाली, राधनपुर, भीलड़ी, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इडगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना, किउल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बड़हरवा और न्यू फरक्का स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09463 गांधीधाम – मालदा टाउन समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 14 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर ब्लॉक,के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

1. 04 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09091 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अतः यह ट्रेन गोरखपुर कैंट और गोरखपुर स्टेशन के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
2. 05 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09092 गोरखपुर – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन से ओरिजिनेट होगी। अतः यह ट्रेन गोरखपुर और गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
3. 30 अप्रैल तथा 01, 02, 03, 05, 06, 07 और 08 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19489 अहमदाबाद – गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अतः यह ट्रेन गोरखपुर कैंट और गोरखपुर स्टेशन के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
4. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 और 09 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर – अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन से ओरिजिनेट होगी। अतः यह ट्रेन गोरखपुर और गोरखपुर कैंट स्टेशन के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

राजकोट में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का संदेश- तकनीक के साथ मानवीय संवेदना ही चिकित्सा की असली पहचान

राजकोट। देश के उभरते चिकित्सा संस्थानों में शुमार AIIMS Rajkot के पहले दीक्षांत समारोह में सोमवार को द्रौपदी मुर्मु ने शिरकत करते हुए भावी डॉक्टरों को एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जितनी तेजी से तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है, उतना ही जरूरी है कि डॉक्टर अपने भीतर मानवीय संवेदनाओं को भी जीवित रखें। राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में स्थापित एम्स संस्थान आज किफायती लागत पर विश्वस्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संस्थान केवल इलाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में भी उभर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और समाज के व्यापक हित में भी इन संस्थानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अपने संबोधन में उन्होंने AIIMS Rajkot को एक उभरते हुए संस्थान के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि इसके सामने चिकित्सा शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्र में लंबा सफर तय करना है। उन्होंने संस्थान के नीति-निर्माताओं से अपील की कि वे अपने लक्ष्यों में न केवल एम्स के मूल उद्देश्यों को शामिल करें, बल्कि क्षेत्र विशेष की स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान पर भी ध्यान केंद्रित करें। उनका कहना था कि किसी भी संस्थान की नींव यदि पारदर्शिता और सुशासन पर आधारित हो, तो उसका विकास दीर्घकालिक और प्रभावी होता है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने चिकित्सा पेशे को केवल एक करियर नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का सफेद कोट उस विश्वास का प्रतीक है, जो मरीज कठिन समय में उनके प्रति रखते हैं। ऐसे में इस विश्वास को बनाए रखना हर चिकित्सक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल के साथ-साथ संवेदनशीलता, धैर्य और विनम्रता जैसे गुणों को भी अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं।

तकनीकी प्रगति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, प्रिसीजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ जैसी नई तकनीकें चिकित्सा क्षेत्र को तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने छात्रों को इन परिवर्तनों के साथ खुद को ढालने की सलाह दी, ताकि वे बेहतर और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, वह मानवीय संवेदनाओं का स्थान कभी नहीं ले सकती।

उन्होंने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर बनना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर बनना जो ईमानदारी, करुणा और सेवा भावना से परिपूर्ण हो, उससे भी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे चिकित्सक न केवल मरीजों का इलाज करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। उन्होंने स्नातक छात्रों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें।

राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दिशा में नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जब सभी हितधारक मिलकर कार्य करेंगे, तो इन प्रयासों को और गति मिलेगी।

अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि AIIMS Rajkot आने वाले समय में न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में नए मानक स्थापित करेगा, बल्कि देश में समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समारोह में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए यह अवसर प्रेरणा और जिम्मेदारी दोनों का संदेश लेकर आया।

ट्रेन संख्या 19209/10 भावनगर-ओखा–भावनगर एक्सप्रेस में तृतीय वातानुकूलित कोच की स्थायी वृद्धि

यात्रियों की बढ़ती मांग एवं यात्रा सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ट्रेन संख्या 19209/10 भावनगर टर्मिनस–ओखा–भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस में एक तृतीय वातानुकूलित (थर्ड एसी) कोच स्थायी रूप से जोड़े जाने का निर्णय लिया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में एक तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोच (3rd AC) कोच अस्थायी रूप से लगाया जा रहा था, जिसे रेल प्रशासन द्वारा स्थायी रूप से लगाने का निर्णय लिया गया है।

यह संशोधित कोच संरचना निम्नानुसार प्रभावी होगी:

ट्रेन संख्या 19209 (भावनगर टर्मिनस–ओखा) पर दिनांक 01 जून, 2026 से

ट्रेन संख्या 19210 (ओखा–भावनगर टर्मिनस) पर दिनांक 02 जून, 2026 से इस निर्णय से यात्रियों को अधिक आरक्षित सीटों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक एवं सुविधाजनक बनेगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस वातानुकूलित कोच की सुविधा का अधिकतम लाभ उठाते हुए सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त करें।

वडोदरा में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी तेज, निष्पक्ष मतदान के लिए ऑब्ज़र्वर लोचन सेहरा ने दिए सख्त निर्देश

वडोदरा। गुजरात में प्रस्तावित स्थानीय निकाय आम चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में वडोदरा में इलेक्शन ऑब्ज़र्वर लोचन सेहरा की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक स्तर पर मंथन हुआ। बैठक में जिला एवं तालुका पंचायत ऑब्ज़र्वर राज सुथार की उपस्थिति ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना था। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर्स और अन्य चुनाव अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऑब्ज़र्वर लोचन सेहरा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनविश्वास का सबसे बड़ा आधार होते हैं, इसलिए इसकी पवित्रता बनाए रखना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, मतदान कर्मियों की तैनाती और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष बनी रहे।

बैठक के दौरान जिले के संवेदनशील मतदान केंद्रों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

जिला चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर अनिल धामेलिया ने अब तक की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिले में चुनावी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं और आगामी दिनों में इन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। उनके अनुसार, प्रशासन का लक्ष्य है कि हर मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

उप जिला चुनाव अधिकारी केलैया ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के आवंटन, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था की गई है और स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या न आए।

टिकट चेकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शनः भावनगर मंडल के 5 कर्मचारियों को डीआरएम ने किया सम्मानित

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से नियमित रूप से विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान टिकट चेकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 टिकट चेकिंग स्टाफ को दिनांक 13 अप्रैल, 2026 (सोमवार) को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा योग्यता प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा एवं मंडल के सभी शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर्मचारियों का चयन उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों से अधिक अर्जित जुर्माना राशि एवं दर्ज मामलों के आधार पर निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप किया गया। इस सम्मान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है तथा उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।

सम्मानित होने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ में श्री एम. डी. मकवाणा (मुख्य वाणिज्य लिपिक – गोंडल), श्री राहुल शर्मा (सीसीटीसी – वेरावल), श्री पी. आर. त्रिपाठी (सीसीटीसी – बोटाद), श्री अशोक मुरानी (वाणिज्य अधीक्षक – जूनागढ़) एवं श्री आर. एन. गोहिल (उप मुख्य टिकट निरीक्षक – भावनगर) शामिल हैं।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध व्यापक एवं सघन जांच अभियान चलाया गया। निरंतर निगरानी एवं विशेष चेकिंग अभियानों के परिणामस्वरूप मंडल ने टिकट चेकिंग के माध्यम से 105928 मामलों से 7.15 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 73597 मामलों से 4.81 करोड़ की तुलना में 48.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सम्मानित सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे उचित टिकट लेकर यात्रा करें तथा रेलवे नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करें।

सूरत चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल का फॉर्म रद्द, पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल की उम्मीदवारी नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी के कारण चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दी है। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस पार्टी में वाल्मीकि समाज के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। वे इससे पहले दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। दुर्भाग्य से, दोनों बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान वार्ड में कांग्रेस मतदाताओं की अधिक संख्या के कारण उनकी जीत की संभावना अच्छी थी। वार्ड संख्या 12, नानावत, सैयदपुरा, कुबेरनगर और महिधरपुरा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र पटेल को उम्मीदवार के रूप में चुना था।

प्रत्येक उम्मीदवार को भरने के लिए चार नामांकन फॉर्म दिए जाते हैं। उम्मीदवार स्वयं और उसका डमी उम्मीदवार उसके समर्थन में उम्मीदवार उतारते हैं। और किसी भी कारण से फॉर्म रद्द होने पर, उसका डमी उम्मीदवार स्वतः ही उम्मीदवार बन जाता है। भूपेंद्र पटेल के डमी उम्मीदवार को मैदान में न उतारने को लेकर कांग्रेस पार्टी में संदेह है। तीसरी बार चुनाव लड़ रहा व्यक्ति उम्मीदवार की पार्टी का नाम लिखना कैसे भूल सकता है? भूपेंद्र पटेल का फॉर्म रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन के प्रभारी नेताओं पर भी संदेह पैदा होता है। भूपेंद्र पटेल का फॉर्म रद्द होने से पार्टी नेताओं की विफलता साबित हो जाती है।

वाल्मीकि समुदाय से कांग्रेस पार्टी के केवल एक उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने से समुदाय में तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा की एक महिला उम्मीदवार का फॉर्म, जिसमें नाम और उपनाम बदला गया था, अन्य उम्मीदवारों की आपत्तियों के बावजूद स्वीकृत हो गया है। वहीं भूपेंद्र पटेल का फॉर्म तकनीकी खामियों के बावजूद रद्द कर दिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं के अनुसार, यह फॉर्म भाजपा के साथ मिलीभगत से रद्द किया गया है। जब फॉर्म कांग्रेस पार्टी के जनादेश के साथ भरा गया था, तो पार्टी के नाम पर आपत्ति उठाकर फॉर्म रद्द करना किसी अन्य पार्टी का पक्ष लेने के समान है। यह चर्चा हो रही है कि भूपेंद्र पटेल की उम्मीदवारी रद्द होने से अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों पर भी असर पड़ेगा।

इस घटना से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के कुछ "विस्फोटित कारतूसों" ने भाजपा का परोक्ष रूप से समर्थन करके निस्संदेह अपनी गर्दनें सीधी कर ली हैं।